

## **Regarding need to categorise betel leaf cultivation as agricultural activity-laid**

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : हमारे देश से हर साल बड़ी मात्रा में पान की सप्लाई विदेशों में होती है और विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है । बाकी अन्य फसलों की तरह पान की खेती सीमित किसान ही करते हैं इसलिए देश में पान की फसल के कल्चर का निर्धारण नहीं किया गया । नतीजा पान की खेती करने वाले किसानों को न तो बीज मिलता है और न ही खाद और तकनीकी सलाह । वहीं इन्हें फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड योजना से भी दूर रखा जाता है । जबकि पान की फसल नाजुक होती है और निरंतर निगरानी से पान सहेज पाते हैं । फसल बर्बाद होने के बाद पानकृषक परिवार बर्बाद हो जाता है परिवार में आर्थिक तंगी हो जाती है । इन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए । सरकार द्वारा जारी फसल अधिसूचित करने की नीतियों में बड़ी विसंगति है । शासन की नीतियों के हिसाब से पान को खेती नहीं माना गया है । कुछ सालों से प्राकृतिक आपदाओं से पान की फसल बर्बाद हो रही है लेकिन पान अधिसूचित फसलों की श्रेणी से बाहर होने के कारण उत्पादकों मुआवजा नहीं मिलता । इसलिए मेरी मांग है पान उत्पादन को कृषि में शामिल करके कृषि क्षेत्र में चल रही सभी योजनाओं का लाभ, पान किसानों को भी देना चाहिए ।